न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 402/2025

प्रार्थी :-

रेवतराम पुत्र श्री पाबुराम, जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।
2. अणदाराम पुत्र श्री सीमाराम,
3. पोकरराम पुत्र श्री सीमाराम,
4. मनीषा पुत्री श्री रामचन्द्र,
5. सुमन पुत्री श्री रामचन्द्र,

जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण ग्राम पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :- प्रार्थी – श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1– सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: आदेश :: दिनांक :- 01/04/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1985 रकबा 1.6342 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जिसमें प्रार्थी का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/16 वॉ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/16 वॉ हिस्सा व सहखातेदार पप्पूराम पुत्र श्री पूनाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खसरा संख्या 1985 रकबा 1.6342 हैक्टेयर में पूर्व में जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के अनुसार प्रार्थी व सीमाराम पुत्र सांवलराम का 1/2 हिस्सा दर्ज था जिसके अनुसार प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व सीमाराम का 1/4 हिस्सा उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि में से निहित व बनता है। सीमाराम व उसके पुत्र बंशीलाल फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 554 द्वारा सीमाराम के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में प्रथम बार सीमाराम के वारिस अणदाराम, पोकरराम पिसरान सीमाराम, सायरी पत्नी सीमाराम, रामचन्द्र पुत्र बंशीलाल, फेफली पत्नी बंशीलाल का नाम दर्ज किया गया। इसके आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में भी जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के अनुसार इन्द्राज रेवतराम पिता पाबूराम, अणदाराम, पोकरराम पिसरान सीमाराम, सायरी पत्नी सीमाराम, रामचन्द्र पिता बंशीलाल, फेफली पत्नी बंशीलाल हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया, जिसके अनुसार भी प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व सीमाराम के उपरोक्त वारिसान का 1/4 हिस्सा उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि में से निहित व बनता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सायरी पत्नी सीमाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1312 द्वारा सायरी के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में प्रथम बार सायरी के वारिस अणदाराम, पोकरराम पिसरान सीमाराम, रामचन्द्र पुत्र बंशीलाल, फेफली पत्नी बंशीलाल, संतोष पुत्री बंशीलाल, मैनादेवी पुत्री सीमाराम का नाम दर्ज किया गया। मैनादेवी, फेफली व संतोष द्वारा उक्त खसरे की भूमि में से अपना निहित हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा अणदाराम, पोकरराम पिसरान सीमाराम, रामचन्द्र पिता बंशीलाल को हकतर्क कर दिया तथा रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1314 स्वीकृत किया गया। रजिस्टर्ड हकतर्कनामा व विरासत के आधार पर खसरा संख्या 1985 में से सीमाराम के निहित 1/4 हिस्से में से अप्रार्थी संख्या 2 अणदाराम को 1/3 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 पोकरराम को 1/3 वॉ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता रामचन्द्र को 1/3 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा खसरा संख्या 1985 की सम्पूर्ण भूमि में से अप्रार्थी संख्या 2 अणदाराम को 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 पोकरराम को 1/12 वॉ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता रामचन्द्र को 1/12 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2026 द्वारा रामचन्द्र के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का नाम प्रथम बार चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2076 में दर्ज किया गया तथा रामचन्द्र फौत होने से उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि में से रामचन्द्र के 1/12 वॉ हिस्से में से अप्रार्थी संख्या 4 मनीषा को 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 सुमन को 1/2 हिस्सा निहित हुआ तथा उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि में से अप्रार्थी संख्या 4 मनीषा को 1/24 वॉ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 सुमन को 1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार खसरा संख्या 1985 रकबा 1.6342 हैक्टेयर के सम्पूर्ण रकबा में से प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/24 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/24 वॉ हिस्सा निहित व बनता है। जो हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057, जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में तो सही इन्द्राज किया गया, परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में खतौनी के समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 वॉ हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता रामचन्द्र का 1/8 वॉ हिस्सा दर्ज कर दिया तथा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में भी लिपिकीय भूलवश हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 वॉ हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/16 वॉ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/16 वॉ हिस्सा दर्ज कर दिया गया। इसलिए चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 वॉ हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/16 वॉ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/16 वॉ हिस्सा दर्ज अशुद्ध हिस्से के स्थान पर प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/24 वीं हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/24 वीं हिस्सा को लिखित न बनता है, शुद्ध किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1985 रकबा 1.6342 हैक्टेयर की राजस्व रेकार्ड चालू जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज प्रार्थी/रेवतराम पुत्र पाबूराम हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 2/आणदाराम पुत्र सीमाराम हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 3/पोकरराम पुत्र सीमाराम हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 4/मनीषा पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/16, अप्रार्थी संख्या 5/सुमन पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/16 के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज प्रार्थी/रेवतराम पुत्र पाबूराम हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या 2/आणदाराम पुत्र सीमाराम हिस्सा 1/12, अप्रार्थी संख्या 3/पोकरराम पुत्र सीमाराम हिस्सा 1/12, अप्रार्थी संख्या 4/मनीषा पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/24, अप्रार्थी संख्या 5/सुमन पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/24 शुद्ध किये जाने का आदेश फरमाने तथा पारित आदेश की पालना में शुद्धि का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं 2 से 5 को उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, बार-बार रूक- रूक कर आवाज लगवाई गई लेकिन इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत् 2054-57 राजस्व ग्राम पटेलनगर के खाता सं. 336 पुराना खाता 177 खसरा सं. 1985 रकबा 10.2.10 बीघा में प्रार्थी रेवतराम पुत्र पाबुराम व सीमाराम पुत्र सांवलराम 1/2 सामलाती दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2066-2069 राजस्व ग्राम पटेलनगर के खाता सं. 401 पुराना खाता सं. 336 खसरा सं. 1985 रकबा 10.2.10 बीघा, बारानी 3 प्रार्थी रेवंतराम पुत्र पाबुराम और सीमाराम के वारिसानों के नाम सामलाती हिस्सा 1/2 दर्ज है। राजस्व ग्राम पटेलनगर की जमाबंदी संवत् 2070-2073 के खाता सं. 578 पुराना खाता 401 खसरा सं. 1985 रकबा 10.2.10 (1.6342 हैक्टयर) बीघा किस्म बारानी 3 में प्रार्थी खातेदारों का हिस्सा 1/8 दर्ज हो गया और सीमाराम के वारिसान आणदाराम पुत्र सीमाराम हि. 1/8 पोकरराम पुत्र सीमाराम हि. 1/8 रामचन्द्र पुत्र बंशीलाल हि. 1/8 पप्पुराम पुत्र पूनाराम हि. 1/2 दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2054-2057 के खाता सं. 336 पुराना खाता सं. 177 और जमाबंदी संवत् 2066-2069 के खाता सं. 401 पुराना खाता 336 के अनुसार वर्तमान जमाबंदी 2074-2077 के खाता सं. 578 खाता सं. पुराना 401 खसरा सं. 1985 रकबा 1.6342 हैक्टयर किस्म बारानी 3 में खातेदारों का हिस्सा निम्नानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित एवं प्रस्तावित है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	अशुद्ध हिस्सा	शुद्ध हिस्सा	विशेष विवरण
1	रेवंतराम पुत्र	1/8	1/4	रहन एचडीएफसी हि.

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

	पाबुराम			1/8 शाखा जैतारण
2	अणदाराम पुत्र सीमाराम	1/8	1/12	–
3	पोकरराम पुत्र सीमाराम	1/8	1/12	1/8 हि. रहन बिलाडा सहकारी भूमि विकास बैंक बिलाडा
4	मनीषा पुत्री रामचन्द्र	1/16	1/24	–
5	सुगन पुत्री रामचन्द्र	1/16	1/24	–

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण खातेदार के रूप में इन्द्राज है लेकिन जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खातेदारों का हिस्सा गलत दर्ज है, जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 1985 रकबा 1.6342 हैक्ट. में अशुद्ध इन्द्राज प्रार्थी का 1/8 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/8 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/8 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 1/16 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/16 वां हिस्सा के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/12 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/12 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 1/24 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/24 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा